अध्याय-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पाँच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **परिशिष्ट 1.2 भाग (क)** में सरकारी लेखों के ढांचे तथा प्रकार को स्पष्ट किया गया है तथा **परिशिष्ट 1.2 भाग (ख)** में वित्त लेखों के ले-आउट को दर्शाया गया है। **वित्त लेखों में "लेखों की व्याख्या" नहीं होती है जो वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से संबंधित विवरण के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे करती है।**

परिशिष्ट 1.3 में राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दी गई है।

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ. एक दी गई समयावधि में राज्य में सभी सरकारी मान्यता प्राप्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 में ₹ 6,86,017 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में अखिल भारत के औसत स.घ.उ. वृद्धि (12.90 *प्रतिशत*) की तुलना में उच्च दर (15.40 *प्रतिशत*) पर बढ़ा है। पिछले दशक में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (11.50 *प्रतिशत*) की तुलना में रा.रा.क्षे. का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (12.10 *प्रतिशत*) आंशिक रूप से बढ़ा हुआ था **(परिशिष्ट 1.1)**।

वर्तमान एवं अचल मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की तुलना में भारत के स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
दिल्ली का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
अचल मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य की स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,92,908	4,28,899	4,74,058	5,14,871	5,56,800
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.17	9.16	10.53	8.61	8.14

स्रोतः आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान तथा अचल दोनों मूल्य पर भारत के स.घ.उ. से अधिक थी।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लेखे मुख्यतः दो भागों में होते हैं (क) समेकित निधि (ख) आकस्मिक निधि। दिल्ली के लिए लोक लेखे अलग नहीं होते। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उचंत आदि) को संघ सरकार के लोक लेखों में समाविष्ट किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंत शेषों को समाविष्ट किया जाता है जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के नकद शेष का अंश कहलाता है तथा सरकार के पास जमा के तौर पर समझा जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयता में लघु बचत संग्रहण बड़ी मात्रा में समाविष्ट होता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों की परिधि में दिल्ली नहीं आती है तथा उसे केवल संघीय कर तथा शुल्क के राज्य अंश के स्थान पर विवेकाधीन अनुदानों की प्राप्ति होती है।

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.4** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
	2016-17	**2017-18**		**2016-17**	**2017-18**
खण्ड-क राजस्व	**कुल**	**कुल**	**खण्ड-अ राजस्व**	**कुल**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	**34,346**	**38,667**	**राजस्व व्यय**	**29,302**	**33,754**
कर राजस्व	31,140	35,717	सामान्य सेवाएँ	6,590	7,196
गैर-कर राजस्व	381	766	सामाजिक सेवाएँ	16,579	19,602
			आर्थिक सेवाएँ	5,111	5,862
भारत सरकार से अनुदान	2,825	2,184	सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,021	1,094
खण्ड-ख पूँजीगत			**खण्ड-ब पूँजीगत**		
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	**पूँजीगत व्यय**	3,754	3,243
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	212	691	संवितरित ऋण व अग्रिम	2,553	2,248
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	1,696	1,906	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	1,655	1,682
आकस्मिक निधि	0	2	आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	2
आरंभिक नकद शेष#	3,655	2,645	अंतिम नकद शेष#	2,645	2,982
कुल	**39,909**	**43,911**		**39,909**	**43,911**

* लघु बचतों में अधिकांशत: अंश के रूप में शामिल भारत सरकार से ऋण व अग्रिम में समाविष्ट है।

भारत सरकार के सामान्य रोकड़ शेष के साथ समाविष्ट अंतिम शेष

1.1.3 बजट आकलन तथा वास्तविकताएँ

बजट दस्तावेज एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय के आकलनों को बताते हैं। राजस्व तथा व्यय के आकलन को जितना सम्भव हो सही बनाना चाहिए जिससे सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं को विश्लेषित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलन तथा वास्तविकताओं को **चार्ट 1.1** में दिखाया गया है।

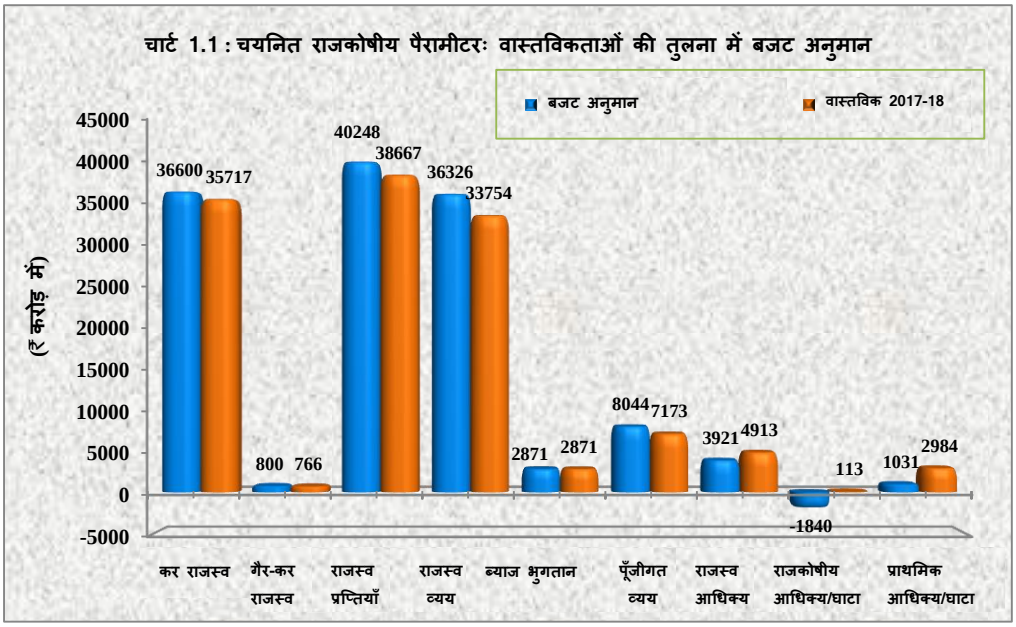

- ₹ 40,248 करोड़ के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 38,667 करोड़ (96.07 *प्रतिशत*) थी।
- ₹ 36,600 करोड़ (97.59 *प्रतिशत*) की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति कर प्राप्तियों के अधीन वसूली ₹ 35,717 करोड़ थी।
- ₹ 800 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति गैर-कर प्राप्ति ₹ 766 करोड़ (95.75 *प्रतिशत*) थी।
- ₹ 36,326 करोड़ के बजट प्रावधान की अपेक्षा वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 2,572 करोड़ (7.08 *प्रतिशत*) तक कम था।
- पूँजीगत व्यय ₹ 7,173 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान ₹ 8,044 करोड़ के प्रति कम था।
- ₹ 1,840 करोड़ के प्रत्याशित राजकोषीय घाटे के प्रति सरकार ने रख-रखाव हेतु ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य का प्रबंधन किया था।

राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ राजस्व व्यय बजटीय लक्ष्यांकों से मामूली कम थे। राजस्व आधिक्य आकलनों से अधिक था।

1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्तन में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय परिवर्तन की देयताओं की प्रत्यास्थता अथवा श्रेणी को दर्शाती है। राजस्व

प्राप्तियों, रा.रा.क्षे. की अपनी कर प्राप्तियाँ, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं के उत्प्लावकता अनुपात को नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)					
वर्ष के दौरान रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. की उत्प्लावकता	0.70	0.50	1.70	-0.15	1.12
रा.रा.क्षे. दिल्ली का अपना कर-राजस्व (अ.क.रा.)					
वर्ष के दौरान अ.क.रा. (₹ करोड़ में)	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
अ.क.रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	10.61	2.64	13.61	3.02	14.70
स.रा.घ.उ. सहित अ.क.रा. की उत्प्लावकता	0.79	0.23	1.27	0.24	1.31
कुल व्यय (कु. व्य.)					
वर्ष के दौरान कु. व्य. (₹ करोड़ में)	32,726	29,593	33,750	35,609	39,244
कु. व्य. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	14.54	-9.57	14.05	5.51	10.21
स.रा.घ.उ. सहित कु. व्य. की उत्प्लावकता	1.08	-0.83	1.31	0.44	0.91
राजकोषीय देयता* (रा.दे.)					
वर्ष की समाप्ति पर रा.दे. (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
रा.दे. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
स.रा.घ.उ. सहित रा.दे. की उत्प्लावकता	0.72	0.11	0.23	0.01	0.06

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

* लघु बचत संग्रहण की अधिक मात्रा रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में शामिल है।

स.रा.घ.उ. की तुलना में पैरामीटर की उत्प्लावकता यदि कम है तो इसका अर्थ है कि पैरामीटर में संबंधित परिवर्तन राज्य की आय में ऐसे परिवर्तन से कम थे। यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. तथा अ.क.रा. की उत्प्लावकता 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान अधिक थी। 2017-18 के दौरान स.रा.घ.उ. हेतु रा.प्रा. तथा अपना कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात एक से अधिक था जो उत्साहजनक है। स.रा.घ.उ. हेतु कु.व्य. की उत्प्लावकता अनुपात मुख्य रूप से वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में कटौती के कारण एक से कम थी। राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 15.19 *प्रतिशत* बढ़ गया था।

1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

राजस्व तथा पूँजी प्राप्तियों की दो धारा हैं जो सरकार के संसाधनों को बनाती है। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान द्वारा बनती हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण तथा अग्रिम की वसूली और ऋण प्राप्तियों (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) से बनती हैं। **तालिका 1.2** कुल प्राप्तियों संसाधनों के घटकों को दर्शाती है। **चार्ट 1.3** में 2013-18 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2017-18 के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक

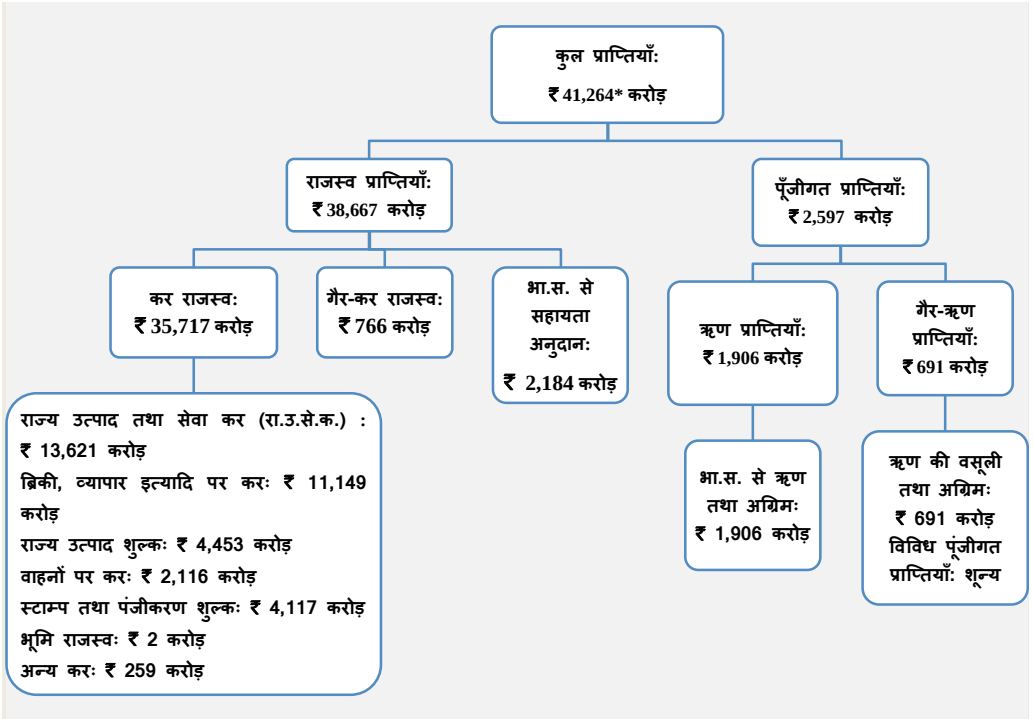

*प्रारम्भिक शेष को छोड़कर

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे. के संसाधनों में प्रवृत्तियाँ

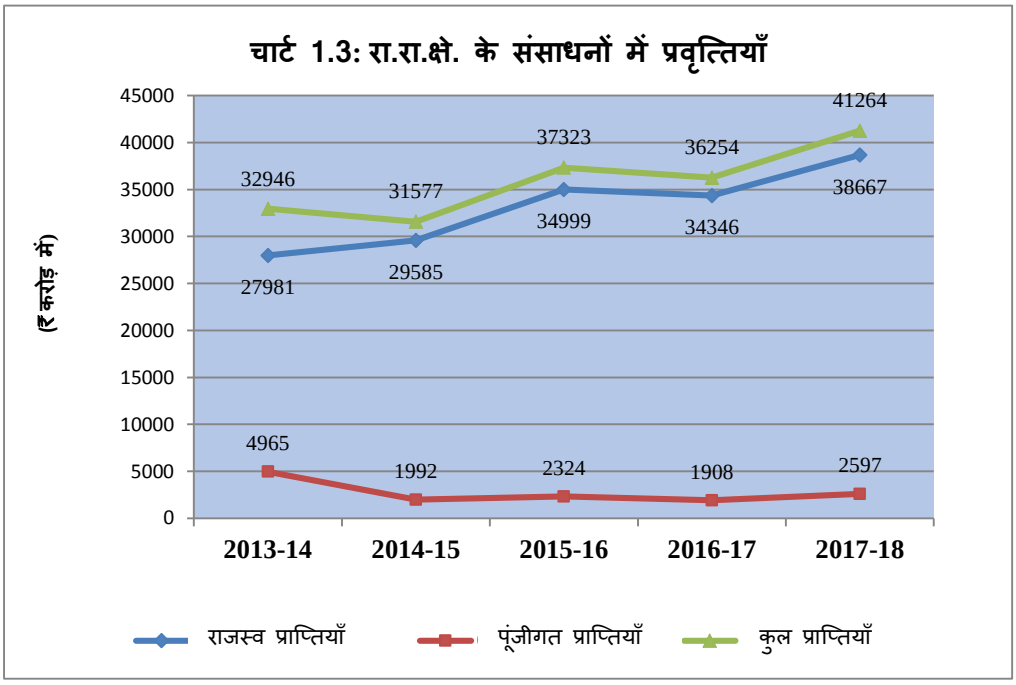

2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे. की कुल प्राप्तियाँ ₹ 8,318 करोड़ (25.25 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 10,686 करोड़ (38.19 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। पूँजीगत प्राप्तियाँ, जिसमें ऋण तथा अग्रिमों, की वसूली तथा ऋण प्राप्तियाँ की वसूली (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) शामिल थी, 2013-18 के दौरान मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों में 54.21 *प्रतिशत* की कमी के कारण ₹ 2,368 करोड़ (47.69 *प्रतिशत*) की कमी हुई।

2017-18 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ 93.71 *प्रतिशत* तथा पूंजीगत प्राप्तियों के घटक 6.29 *प्रतिशत* था।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के कर तथा गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान द्वारा गठित होती है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.4** तथा **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ 2013-14 में ₹ 27,981 करोड़ से, 8.42 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़कर 2017-18 में ₹ 38,667 करोड़ हो गई; जिसमें से रा.रा.क्षे. के अपने राजस्व और सहायता अनुदान में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 9,905 करोड़ (37.27 *प्रतिशत*) और ₹ 781 करोड़ (55.67 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58
रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
कर राजस्व की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	10.61	2.64	13.61	3.02	14.70
सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	1,403	2,348	4,258	2,825	2,184
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	-7.13	67.35	81.35	-33.65	-22.69

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 12.58 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। यह विशेष रूप से **₹** 4,577 करोड़ (14.70 *प्रतिशत*) के कर राजस्व तथा **₹** 385 करोड़ (101.05 *प्रतिशत*) के गैर राजस्व कर की वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भा.स. से **₹** 641 करोड़ (22.69 *प्रतिशत*) तक के सहायता अनुदान में कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिभार थी।

2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक **चार्ट 1.4** में दिया गया है।

चार्ट 1.4: 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक

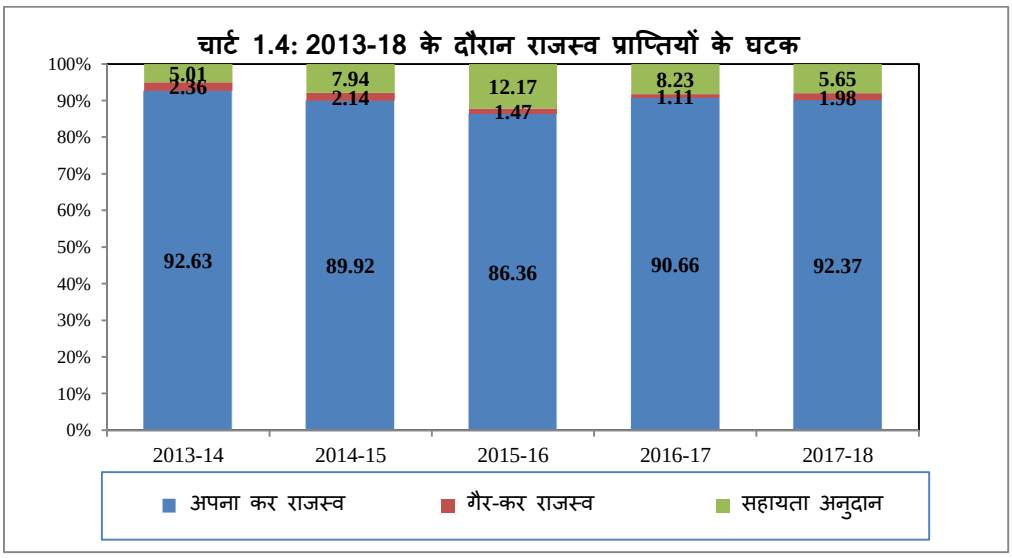

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. का अपना कर राजस्व का अंश उत्तरोत्तर 2013-14 में 92.63 *प्रतिशत* से 2015-16 में 86.36 *प्रतिशत* घट गया तथा पुनः 2017-18 में 92.37 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। गैर-कर राजस्व जैसे सकल राजस्व प्राप्तियों के अंश निरंतर 2013-14 में 2.36 *प्रतिशत* से 2017-18 में 1.98 *प्रतिशत* तक घटते चले गये। सहायता अनुदान का अंश 2013-14 में 5.01 *प्रतिशत* से 2017-18 में 5.65 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

1.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें अपना कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल वसूली **तालिका 1.5** में नीचे दी गई है जो 2013-18 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है।

तालिका 1.5: रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,926(13)	18,289(2)	20,246(11)	21,144(4)	11,149
एस.जी.एस.टी.					13,621
राज्य उत्पाद	3,152(10)	3,422(9)	4,238(24)	4,251(0.3)	4,453(5)
वाहनों पर कर	1,409(14)	1,559(11)	1,607(3)	1,809(13)	2,116(17)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	2,969(-4)	2,780(-6)	3,433(23)	3,144(-8)	4,117(31)
भूमि राजस्व	-	62	1	2	2
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर[1]	463(10)	492(6)	701(42)	790(13)	259(-67)
कुल	**25,919(11)**	**26,604(3)**	**30,226(14)**	**31,140(3)**	**35,717(15)**

लघु कोष्ठकों में दर्शाई गई पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वस्तु एवं सेवा कर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) अधिनियम कार्यान्वित किया जोकि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी था। जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, पाँच साल की अवधि तक जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को मुआवजा देगी। राज्य को भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की संगणना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए गए, अन्तिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया गया था।

[1] अन्य करों में अचल संपत्ति के ऊपर, कृषि भूमि, कर एवं विद्युत शुल्क के अतिरिक्त बाकी कर अति है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 16,784 करोड़ था। राज्य में किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की संगणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की तुलना में लागू प्रक्षेपित वृद्धि दर (14 *प्रतिशत* वार्षिक) द्वारा की जानी है।

2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए प्रक्षेपित राजस्व आधार वर्ष के अनुसार ₹ 16,359 करोड़ था। **₹ 16,359 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के प्रति, वर्ष 2017-18 के दौरान जी.एस.टी. के अधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 16,019 करोड़ थी तथा ₹ 157 करोड़ का प्राप्त मुआवजा था जैसाकि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2018 तक मुआवजे की प्राप्ति में कुल मिलाकर ₹ 183 करोड़ की कमी थी।**

तालिका 1.6: जीएसटी तथा प्राप्त मुआवजा

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया गया राजस्व	संग्रहित किए गए पूर्व जीएसटी कर	संग्रहित किए गए एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम अनुमोदन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी/ अधिशेष
जुलाई 2017	1,817.71	1,745.17	0.65	0	1,745.82	115.00	(-) 183.04
अगस्त 2017	1,817.71	266.04	1,047.67	448.41	1,762.12		
सितम्बर 2017	1,817.71	28.00	1,010.95	641.09	1,680.04	42.00	
अक्तूबर 2017	1,817.71	82.07	1,069.10	752.28	1,903.45		
नवम्बर 2017	1,817.71	60.09	951.22	750.68	1,761.99		
दिसम्बर 2017	1,817.71	20.12	856.62	695.95	1,572.69		
जनवरी 2018	1,817.71	30.58	1,092.46	616.19	1,739.23		
फरवरी 2018	1,817.71	24.08	933.14	1,244.69	2,201.91		
मार्च 2018	1,817.71	142.36	999.08	510.66	1,652.10		
कुल	**16,359.39**	**2,398.51**	**7,960.89**	**5,659.95**	**16,019.35**	**157.00**	**(-) 183.04**

स्रोतः वित्त लेखे एवं व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना

आईजीएसटी का अग्रिम अनुमोदन

भा.स. आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आईजीएसटी बांटती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) ने ₹ 735 करोड़ के अनुमोदन के अंतिम/अग्रिम निपटान की स्वीकृति (फरवरी 2018) इस शर्त के साथ दी कि अप्रैल 2018 से शुरू कर 10 समान किश्तों में मासिक रिटर्न के आधार पर आईजीएसटी के नियमित निपटान से वर्ष 2018-19 में राशि समायोजित की जायेगी। हालांकि, भारत सरकार ने नवम्बर 2017 - मार्च 2018 के लिए राज्य को देय द्विमासिक मुआवजा के प्रति ₹ 735 करोड़ समायोजित किया था।

1.3.1.2 गैर कर राजस्व

2013-18 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: 2013-18 को दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	379(12)	351(-8)	82(-76)	82(0)	396(383)
लाभांश तथा लाभ	12(-54)	13(8)	12(-4)	11(-8)	16(45)
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	268(3)	269(0.5)	421(56)	288(-32)	354(23)
क) लोक निर्माण कार्य	19	15	19	22	14
ख) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	63	58	126	60	89
ग) शिक्षा	19	25	22	24	26
कुल	**659(5)**	**633(-4)**	**515 (-19)**	**381(-26)**	**766 (101)**

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2013-18 के दौरान गैर-कर राजस्व में ₹ 107 करोड़ (16.24 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी मुख्यतः स्थानीय निकायों से ऋणों पर ब्याज की कम प्राप्ति के कारण हुई थी। गैर-कर राजस्व (₹ 766 करोड) जो 2017-18 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,667 करोड़) का 1.98 *प्रतिशत* था, में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 385 करोड़ (101 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के ऋणों पर दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए ₹ 332 करोड़ के प्राप्त ब्याज के कारण हुई।

1.3.2 भारत सरकार से अनुदान सहायता

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली अ.स. के लिए योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया। भारत सरकार से अ.स. के ब्यौरे **तालिका 1.8** में दिए गए हैः

तालिका 1.8: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	327	328	2,905	1,119	-
राज्य/यू.टी. योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	718	1,467	487	550	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	358	553	866	1,156	-
सीएसएस के लिए अनुदान	-	-	-	-	995
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी के लिए मुआवजा	-	-	-	-	157
अन्य स्थानांतरण/राज्यों/यूटी को अनुदान	-	-	-	-	1,032
कुल	**1,403(-7)**	**2,348(67)**	**4,258(81)**	**2,825(-34)**	**2,184(-23)**

भारत सरकार से स.अ. ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) हो गया जिसमें जी.एस.टी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व की कमी के बदले ₹ 157 करोड़ का मुआवजा भी सम्मिलित था। **स.अ. में ₹ 641 करोड़ (22.69 *प्रतिशत*) की कमी मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 629 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान 16 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (परिशिष्ट 1.7) के अधीन किसी भी अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई थी।**

राज्य/के.शा.प्र. हेतु ₹ 1032 करोड़ के अन्य हस्तान्तरण/अनुदानों में केन्द्रीय करों के अंश के बदले भा.स. से अनुदानें सम्मिलित हैं जो 2001-02 से ₹ 325 करोड़ तक गतिरूद्ध रही। यद्यपि 2001-02 से केन्द्रीय कर वसूलियों में पर्याप्ततः वृद्धि हुई है।

भारत सरकार से पिछले वर्ष की तुलना में जिन योजनाओं को कम अनुदानों की प्राप्ति हुई वे 'सर्व शिक्षा अभियान' को 2016-17 में ₹ 95.78 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 15.15 करोड़, 'दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन' का 2016-17 में ₹ 258.32 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 141.49 करोड़, 'मिड-डे-मील स्कीम' के प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई.) हेतु 2016-17 में ₹ 83.04 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 60.67 करोड़ थे।

अप्रैल-मई 2018 के माह में 'सर्वशिक्षा अभियान' तथा 'दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन' के अधीन वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 94.62 करोड़ तथा ₹ 66.93 करोड़ की स.अ. स्वीकृत/जारी की गई थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को मिड-डे-मील स्कीम के एम.एम.ई. के मामले में 2016-17 में ₹ 81.29 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी। राज्य अंश पूर्वाकलन ₹ 54.19 करोड़ (40 *प्रतिशत*) है। राज्य अंश के प्रति सरकार ने केवल ₹ 2.77 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में ₹ 51.42 करोड़ कम जारी किए गए थे। यह राशि रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा जारी नहीं की गई है जिससे 2017-18 के दौरान केंद्रीय अनुदान कम जारी किए गए थे।

2017-18 में 'स्मार्ट सिटी' के अधीन कोई भी स.अ. जारी नहीं किए गए थे चूँकि पिछले वर्ष 2016-17 के ₹ 194 करोड़ के स.अ. अव्ययित रहे थे।

1.3.3 भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर की वसूली करता है। वसूल किए गए उपकर को निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाता है। **2009-18 तक उपकर की उपयोगिता 0.45 से 38.42 *प्रतिशत* के बीच थी। 31 मार्च 2018 तक भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण समिति के पास कुल ₹ 2,465.43 करोड़ का संचयित उपकर उपलब्ध था।**

कल्याण योजनाओं पर निधियों का कम उपयोग किए जाने का बड़ा कारण बोर्ड के पास कार्मिकों के पंजीकरण का कम होना है। **दिल्ली में मार्च 2018 तक अनुमानतः 10 लाख कार्मिकों में से केवल 1.49 लाख कार्मिक (15 *प्रतिशत*) ही बोर्ड के पास पंजीकृत थे।**

विभाग/बोर्ड को कार्मिकों के कम पंजीकरण किए जाने के कारण की समीक्षा करनी चाहिए तथा पंजीकरण के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विभाग/बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए इन निधियों की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर वसूली के निर्दिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु भवन तथा अन्य निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को चलाना चाहिए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, भा.स. से ऋण के रूप में प्राप्तियाँ तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं, पाँच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों को **तालिका 1.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:-

तालिका 1.9: प्राप्तियों के संघटक तथा वृद्धि में प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियाँ (पूं.प्रा.)	4,965	1,992	2,454	1,908	2,597
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	803	228	83	212	691
लोक ऋण प्राप्तियाँ$	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	351	-58	27	-24	12
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	11	-72	-63	155	225
स.रा.घ.उ. के विषय में	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	201	-60	23	-22	36

$ भा.स. से प्राप्त किए गए ऋण तथा अग्रिम

गैर-ऋण प्राप्ति 2016-17 में ₹ 212 करोड़ से 225 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹ 691 करोड़ तक हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः "बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण" शीर्ष के अंतर्गत ₹ 623 करोड़ की मूल राशि की वसूली के कारण हुई थी। इसमें 2013-14 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए दिल्ली ट्रांस्कों लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए ₹ 294.85 करोड़ की मूल राशि की वसूली सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं इत्यादि से ऋणों की ₹ 65 करोड़ की वसूली भी की गई थी।

1.4.1 भा.स. से ऋण तथा अग्रिम

भा.स. से कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 224 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,345 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गए। भा.स. से ₹ 1,906 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी तथा वर्ष के दौरान ₹ 1,682 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

1.5.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटक

पिछले पाँच वर्षों (2013-18) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्ति तथा संघटक को नीचे **चार्ट 1.5, 1.6 तथा 1.7** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.5: कुल व्ययः प्रवृत्तियाँ तथा संघटक

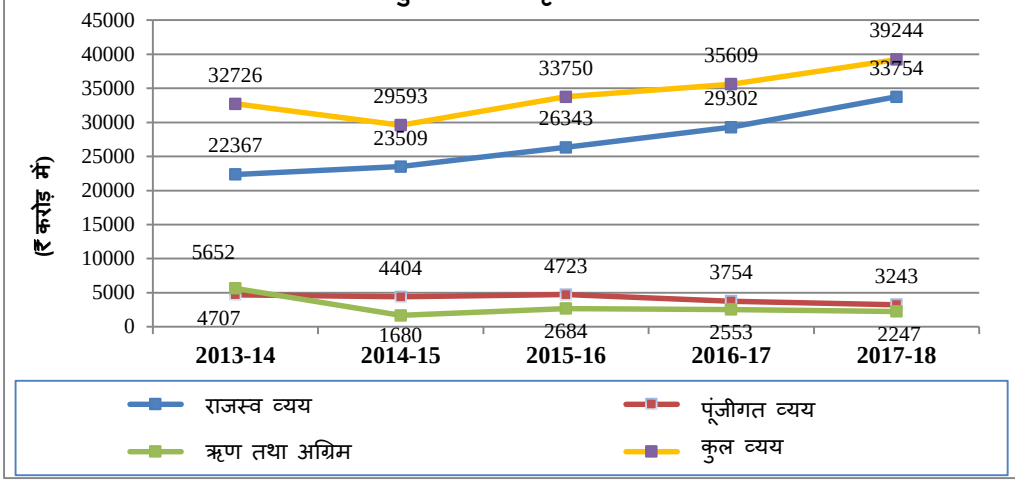

पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय 19.92 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 22,367 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ हो गया जिसमें 50.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय 10.21 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। कुल बढ़ोतरी में, राजस्व व्यय ₹ 4,452 करोड़ (15.19 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण क्रमशः ₹ 511 करोड़ (13.61 *प्रतिशत*) एवं ₹ 306 करोड़ (11.98 *प्रतिशत*) तक घट गया। **चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के अंश में कमी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए संसाधनों के कम आबंटन को दर्शाता है।**

चार्ट 1.6: कुल व्ययः घटकों के अंश में प्रवृत्तियाँ

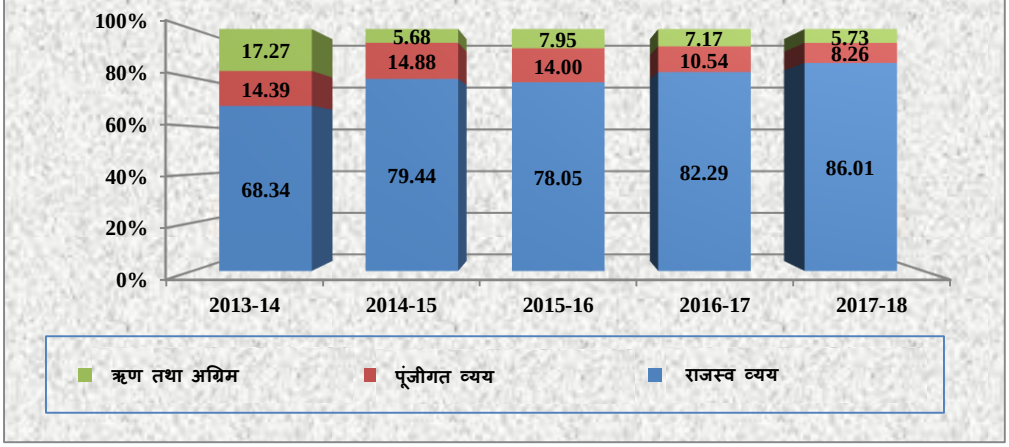

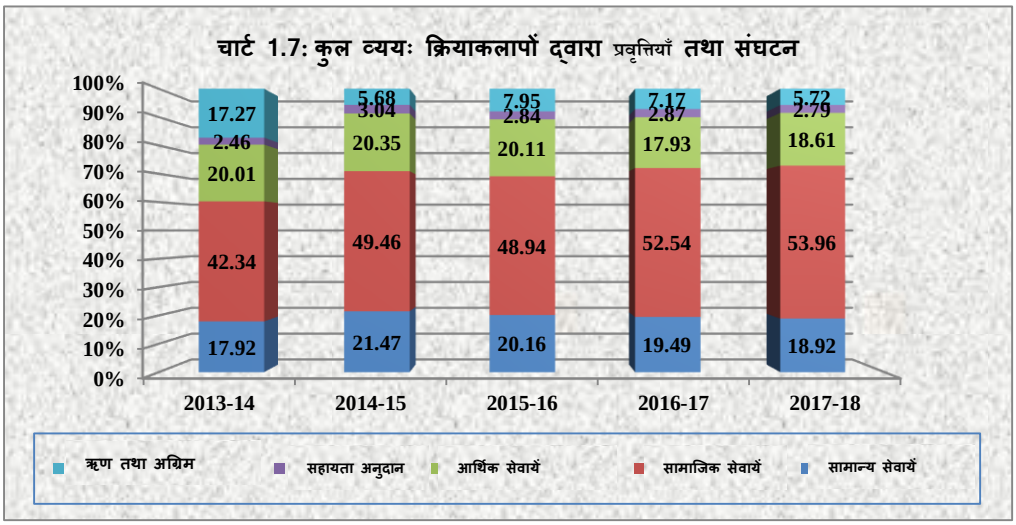

कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 17.92 *प्रतिशत* से बढ़कर 18.92 *प्रतिशत* तक हो गया। सामाजिक सेवाओं का अंश 42.34 *प्रतिशत* से बढ़कर 53.96 *प्रतिशत* हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश 2013-18 के दौरान 20.01 *प्रतिशत* से घटकर 18.61 *प्रतिशत* तक हो गए। उसी अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर कुल व्यय 17.27 *प्रतिशत* से कम होकर 5.72 *प्रतिशत* तक हो गया। 2013-18 के दौरान सहायता अनुदान लगभग 2-3 *प्रतिशत* के मध्य रही। **सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के मिश्रित अंश जो विकास व्यय का द्योतक है इस अवधि के दौरान 62.35 *प्रतिशत* से बढ़कर 72.57 *प्रतिशत* हो गए।**

1.5.2 राजस्व व्यय

पिछले पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि को **तालिका 1.10** में दिखाया गया है।

तालिक 1.10: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	22,367	23,509	26,343	29,302	33,754
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	8.26	5.11	12.05	11.23	15.19
स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता	5.04	4.75	4.81	4.75	4.92
ब्याज भुगतान	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	10.09	9.38	8.03	8.39	7.42

2013-18 के दौरान राजस्व व्यय 5.11 *प्रतिशत* से 15.19 *प्रतिशत* तक वार्षिक वृद्धि की दर से ₹ 11,388 करोड़ (50.91 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2013-18 की अवधि के दौरान 5.04 *प्रतिशत* से घटकर 4.92 *प्रतिशत* हो गई थी।

राजस्व व्यय 15.19 *प्रतिशत* बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 606 करोड़ बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय पिछले वर्ष की

तुलना में मुख्यतः 'शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति' (₹ 1,359 करोड़), 'स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' (₹ 735 करोड़) तथा 'सामाजिक कल्याण तथा पोषण' (₹ 598 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹ 3,023 करोड़ तक बढ़ गया था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मुख्यतः सड़क परिवहन (₹ 565 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹ 751 करोड़ बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में ब्याज भुगतान (₹ 2,871 करोड़) में 1.66 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 12 करोड़ (0.42 *प्रतिशत*) की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2013-14 में 10.09 *प्रतिशत* से घट कर 2017-18 में 7.42 *प्रतिशत* हो गई।

नई पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात हुई है, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान देना होता है और उतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा जमा कराई जाती है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्युरिटी डिपोजटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक) द्वारा निर्दिष्ट प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2017-18 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारी के अंशदान के ₹ 189.68 करोड़ तथा नियोक्ता के अंशदान के ₹ 189.68 करोड़ के प्रति कुल ₹ 379.36 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2017-18 के दौरान कार्मिक के साथ-साथ नियोक्ता के प्रति कुछ बकाया नहीं था।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता का एक सूचक होती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा प्रभाविता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

1.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.11 तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2013-14 तथा 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, पूंजीगत व्यय एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाती है।

तालिका 1.11: 2013-14 तथा 2017-18 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशतता* में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	औ.व्य./स.रा.घ.उ.	वि.व्य.#/औ.व्य.	सा.क्षे.व्य./औ.व्य.	पूंजी/व्य./औ.व्य.	शिक्षा/औ.व्य.	स्वास्थ्य/औ.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली (अनुपात) 2013-14	6.61	78.86	46.60	13.57	18.85	9.10
रा.रा.क्षे. दिल्ली (अनुपात) 2017-18	5.72	77.38	56.49	7.68	25.35	12.06

औ.व्य.: औसत व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व्य.: आर्थिक क्षेत्र व्यय पूंजी व्य पूंजीगत व्यय
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

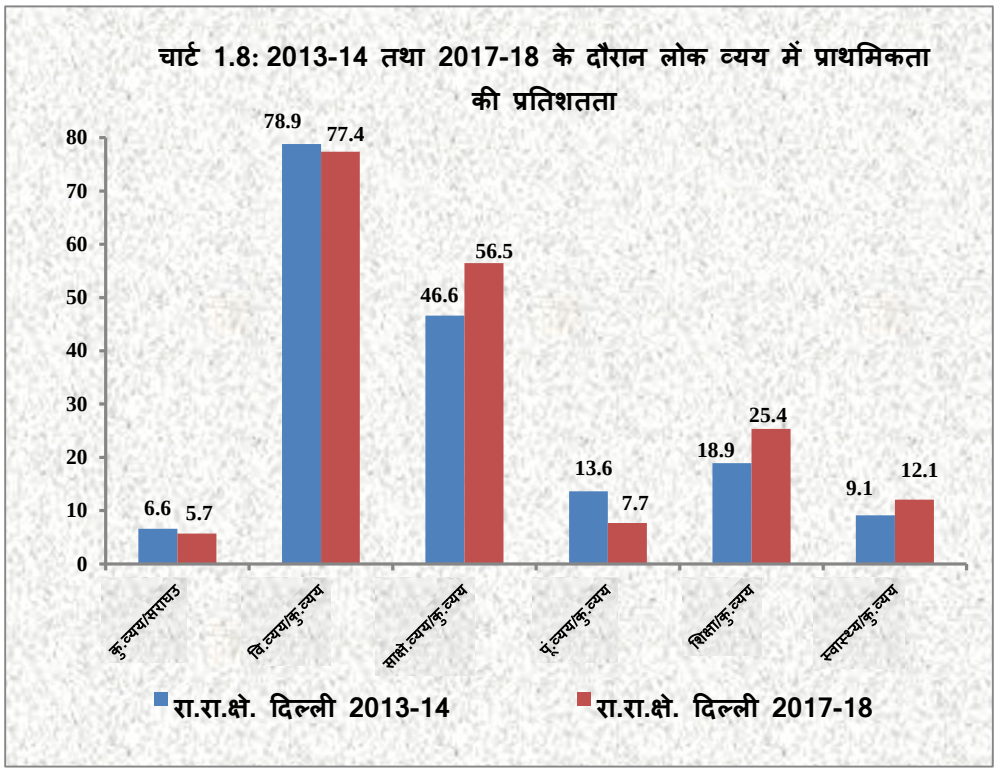

2013-14 में 6.6 *प्रतिशत* से 2017-18 में 5.7 *प्रतिशत* तक स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में औसत व्यय घट गया था। **2013-18 के दौरान विकास व्यय तथा पूंजीगत व्यय कुल व्यय के अनुपात के रूप में क्रमशः 78.9 *प्रतिशत* से 77.4 *प्रतिशत* तथा 13.6 *प्रतिशत* से 7.7 *प्रतिशत* तक कम हो गया था। इस अवधि के दौरान सकल व्यय में स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर व्यय के अंश में वृद्धि दर्ज की है।**

1.6.2 व्यय के प्रयोग में दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यय के पुनर्गठन हेतु उचित उपाय करें तथा लोक हित व उत्पादों की गुणवत्ता के प्रावधानों पर जोर दें। व्यय के प्रयोग में दक्षता पूंजीगत व्यय एवं

कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात द्वारा एवं वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन व रख रखाव के लिए किए गए राजस्व व्यय के समान अनुपात द्वारा दर्शायी जाती है। इन घटकों तथा कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। विकास व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम भी शामिल होते हैं। **तालिका 1.12** में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के औसत व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृतियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: विकास व्यय

विकास व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
क) विकास राजस्व व्यय	15,964 (13.32)	16,625 (4.14)	18,956 (14.02)	21,690 (14.42)	27,381	25,464 (17.40)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	4,442 (11.61)	4,033 (-9.21)	4,346 (7.76)	3,404 (-21.67)	3,555	3,015 (-11.44)
ग) विकास ऋण तथा अग्रिम	5,402 (97.57)	1,634 (-69.75)	2,093 (28.06)	1,941 (-7.23)	1,949	1,888 (-2.76)
कुल	**25,808 (24.07)**	**22,292 (-13.62)**	**25,395 (13.92)**	**27,035 (6.46)**	**32,885**	**30,367 (12.32)**

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान विकास व्यय 17.66 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। यह व्यय, जो कुल व्यय (₹ 39,244 करोड़) का 77.38 *प्रतिशत* था, 2016-17 में ₹ 27,035 करोड़ से ₹ 3,332 करोड़ (12.32 *प्रतिशत*) बढ़कर 2017-18 में ₹ 30,367 करोड़ तक हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः विकास व्यय के 84 तथा 6 *प्रतिशत* तक हो गए थे जबकि पूंजीगत व्यय के अंश केवल 10 *प्रतिशत* थे।

1.7 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खंड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय की गतिविधियों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.7.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,173 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में निवेश पर वृद्धि दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. में ₹ 240 करोड़ के निवेश के कारण हुई थी। 2017-18 में निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) 0.08 *प्रतिशत* था, जबकि सरकार ने 2017-18 के दौरान अपने ऋणों पर 8.58 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। विस्तृत विवरण **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष की समाप्ति पर निवेश*	17,060	17,660	18,492	18,933	19,173
निवेश पर प्रतिफल**	11.95	12.90	12.32	11.28	15.91
निवेश पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	9.21	8.59	8.54	8.65	8.58
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	9.14	8.52	8.47	8.59	8.50
निवेश पर सरकारी ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर #	1,559	1,505	1,566	1,626	1,630

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* प्रदत्त साधारण पूंजी से संबंधित

** सरकार द्वारा प्राप्त की गई प्रदत्त लांभाश आय

(वर्ष के अंत तक निवेश *भुगतान की गई ब्याज दर तथा निवेशों पर प्रतिफल के बीच अंतर)/100

सरकारी निवेश 2013-14 से 2017-18 तक पाँच वर्षों में 12.38 *प्रतिशत* तक बढ़ गए थे। सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 से 9.21 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.06 तथा 0.08 के बीच की श्रेणी की थी। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में, सा.क्षे.उ. में निवेशों पर सरकारी ऋण तथा प्रतिफल में ₹ 7,886 करोड़ का अंतर था।

छः[2] सरकारी कंपनियों को उनके द्वारा भेजे गए लेखों के अनुसार ₹ 6,680 करोड़ के निवेश से ₹ 31,874 करोड़ की संचित हानि हुई। हानि उठाने वालों में दो पॉवर कंपनियाँ (दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड ₹ 1,524 करोड़ तथा दिल्ली ट्रास्कों लिमिटेड - ₹ 1,206 करोड़) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹ 29,143 करोड़) थे, जो कुल मिलाकर संचयित हानि का 99.99 *प्रतिशत* था। 2017-18 के दौरान, इन कंपनियों में सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना चाहिए जो बड़े घाटे में चल रहे हैं, ताकि उनके पुनर्चलन/समापन जैसी भी जरूरत हो, के अनुसार एक रणनीतिक योजना बनायी जा सके।

1.7.2 सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार संस्थानों/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2018 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 63,812 करोड़ थी, जैसा कि **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

[2] दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, डी.टी.सी., डी.एस. आई.आई.डी.सी. क्रिएटिव आर्ट डेव.लिमि., डी.एस.आई.आई.डी.सी. लिकर लिमिटेड तथा डी.एस.आई.आई.डी.सी. मैनटेनैंस सविर्सिज लिमि.

तालिका 1.14: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त किए गए औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारंभिक शेष	**50,888**	**55,737**	**57,190**	**59,915***	**62,255**
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,652	1,680	2,684	2,553	2,248
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	803	228	83	213	691
अंतिम शेष	**55,737**	**57,189**	**59,791**	**62,255**	**63,812**
सकल योग	4,849	1,452	2,601	2,340	1,557
ब्याज प्राप्तियाँ	379	351	83	81	396
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. के ब्याज प्राप्तियाँ	0.68	0.61	0.14	0.13	0.62
बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	8.80	8.54	8.44	8.64	8.55
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	8.12	7.93	8.30	8.51	7.93

*गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण ₹ 124.58 करोड़ के अवधि पूर्व समायोजन को सम्मलित करते हुए राशि

2016-17 में ₹ 2,553 करोड़ के मुकाबले 2017-18 के दौरान, सरकार ने ₹ 2,248 करोड़ का ऋण दिया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 305 करोड़ कम है। यह कमी मुख्यत विविध ऋण[3] शीर्ष के अंतर्गत थी जो 2016-17 के ₹ 611 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 359 करोड़ था। 2017-18 की अवधि में ₹ 691 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों की वसूली यद्यपि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (1.08 *प्रतिशत*) थी। 31 मार्च 2018 तक ₹ 63,812 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 18,310.49 करोड़), विविध ऋण (₹ 16,173.53 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 15,385.64 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹ 11,556.31 करोड़) एवं शहरी विकास (₹ 1,591.16 करोड़) जैसे महत्वपूर्ण शीर्ष थे जहाँ ऋण बकाया थे उन्हें **परिशिष्ट 1.5** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम एवं दिल्ली नगर निगम के प्रति बड़ी मात्रा में ऋण बकाये थे। विवरण निम्नानुसार हैः

<u>दिल्ली जल बोर्ड</u>

दिल्ली जल बोर्ड का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ था। 1998-99 से दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹ 26,620.04 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2018 तक केवल ₹ 351.16 करोड़ वापस किये गये थे और ₹ 26,268.89 करोड़ बचा रहा। गत पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के बकाये ऋण के कारण व्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा संबंधित एजेंसियों के द्वारा मिलान किया जा रहा है। जैसा कि शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

[3] दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड एवं ईडीएमसी

दिल्ली परिवहन निगम

1996-1997 से 2010-11 तक दिल्ली परिवहन निगम ने ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की है। इसमें से ₹ 161.55 करोड़ वापस किया जा चुका है। 2010-11 से डीटीसी को कोई ऋण का संवितरण नहीं किया गया है और यह 2011-12 से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है। 31 मार्च 2018 तक दिल्ली परिवहन निगम के प्रति ₹ 11,676.14 करोड़ की ऋण राशि बकाया है। जिस पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता बनती है।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) को विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर ऋण प्रदान किये जाते हैं तथा इनका समायोजन उन्हे देय कर निर्धारण से किया जाता है। 31 मार्च 2012 तक पहले के दिल्ली नगर निगम पर ₹ 2,059.87 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। एमसीडी के तीन भागों में बंटने के उपरांत इन ऋणों को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (₹ 936 करोड़), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (₹ 729.61 करोड़) एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम (₹ 394.26 करोड़) के बीच उनके बकाया अनुपात के आधार पर बाँट दिया गया था।

उत्तरी दि.न.नि.

2012-18 की अवधि में उत्तरी दि.न.नि. द्वारा ₹ 1680.75 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ₹ 372.82 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली आस्थगित कर दी गई है। 31 मार्च 2018 तक ₹ 2,037.54 करोड़ की ऋण राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

पूर्वी दि.न.नि.

2012-18 की अवधि में पूर्वी दि.न.नि. द्वारा ₹ 1,133.98 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2013-14 की अवधि में ₹ 132.34 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली आस्थगित कर दी गई। 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,395.90 करोड़ की ऋण राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

दक्षिणी दि.न.नि.

2012-18 की अवधि में दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा ₹ 158.50 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गयी थी। 31 मार्च 2018 तक ₹ 381.45 करोड़ की राशि बकाया छोड़कर 2012-13 से ₹ 713.06 करोड़ की वसूली हुई है।

दक्षिणी दि.न.नि. के बकाया ऋण पर ब्याज देयता का प्रधान लेखा कार्यालय तथा संबंधित एजेंसियों के मध्य मिलान किया जाना है। जैसा कि शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. सरकार, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है।

1.8 परिसम्पतियाँ व देयताएँ

1.8.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अंचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.6 (भाग क एवं ख)** 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों के सार का 31 मार्च 2017 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा प्रारंभिक शेष आते है। देयताओं में केवल भा.स. द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मलित हैं।

1.8.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.15 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. से इन देयताओं, राजस्व प्राप्तियों से तथा अपने संशाधनों से अनुपात एवं इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में भा.स. की लघु बचत संग्रह का बड़ा हिस्सा शामिल है।

तालिका 1.15: राजकोषीय देयताएँ-मूल मापदण्ड

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
राजकोषीय देयताओं का अनुपातः					
स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
राजस्व प्राप्तियों (*प्रतिशत*)	114.65	109.85	95.16	97.09	86.81
अपने संसाधन# (*प्रतिशत*)	120.70	119.32	108.34	105.79	92.01
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता के संदर्भ में:					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.72	0.11	0.23	0.01	0.06
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	1.03	0.23	0.14	(-)0.07	0.05
अपने संसाधन (अनुपात)	0.93	0.53	0.19	0.05	0.04

कर + गैर कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ (4.64 *प्रतिशत*) हो गई। 31 मार्च 2018 को ₹ 33,569 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 30,242 करोड़ की 'लघु बचत के संग्रह का अंश' एवं ₹ 3,327 करोड़ की 'संसाधन में अंतर की पूर्ति हेतु ऋण' जैसी देनदारियां शामिल थी।

वर्ष 2013-14 में भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली को ₹ 3,327 करोड़ की राशि 9.5 *प्रतिशत* ब्याज की दर पर चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[4] और तत्कालीन डीईएसयू (दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम), रेल मंत्रालय को बकाया राशि के निपटान के लिए दी गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2018 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली ने न तो ऋण की मूल राशि की कोई किस्त दी है और न ही ब्याज का भुगतान किया है।

वर्ष 2017-18 के अंत में राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी के 0.05 गुणा, राजस्व प्राप्तियों के 0.87 गुणा और रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों के 0.92 गुणा हो गई थी।

1.9 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं।

(i) ऋण रूपरेखा

तालिका 1.16 पिछले पाँच वर्षों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूप रेखा की समय श्रृंखला के विश्लेषण को बताती है।

तालिका 1.16: भारत सरकार द्वारा ऋण की रूपरेखा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की भी तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2013-14	29,243	4,163	1,326	32,080	2,837	9.70
2014-15	32,080	1,764	1,347	32,498	418	1.30
2015-16	32,498	2,241	1,435	33,304	806	2.48
2016-17	33,304	1,696	1,655	33,345	41	0.12
2017-18	33,345	1,906	1,682	33,569	224	0.67

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार के ऋण 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से ₹ 1,489 करोड़ (4.64 *प्रतिशत*) बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गया।

(ii) ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ऋण धारणीयता भविष्य में राज्य के ऋण सेवा सामर्थ्य को बताती है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आंकलित करता है। 2013-14 से 2017-18 के पाँच वर्षों की अवधि के

[4] एनटीपीसी, एनएचपीसी, भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं परमाणु ऊर्जा निगम

लिए इन संकेतकों के अनुसार **तालिका 1.17** राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.17: ऋण धारणीयताः संकेतक व प्रवृतियाँ

ऋण धारणीयता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
बकाया सार्वजनिक ऋण के वृद्धि की दर (*प्रतिशत* में)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर (*प्रतिशत* में)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
सार्वजनिक ऋण/जीएसडीपी (*प्रतिशत* में)	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (चुकाया गया ब्याज/सार्वजनिक ऋण का अ.शे. + सार्वजनिक ऋण का अं.शे./2) (*प्रतिशत* में)	9.21	8.59	8.54	8.65	8.58
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	10.09	9.38	8.03	8.39	7.42
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,325	1,347	1,436	1,655	1,682
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	4,163	1,764	2,241	1,696	1,906
ऋण प्राप्तियों से ऋण भुगतान का प्रतिशत	31.84	76.33	64.04	97.59	88.25
रा.रा.क्षे. दिल्ली# का शुद्ध उपलब्ध ऋण (₹ करोड़ में)	36	(-) 2,357	(-) 2,005	(-) 2,842	(-) 2,647

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से होने वाली अधिकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गया तथा 2013-18 की अवधि में 4.64 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 0.12 *प्रतिशत* तथा 9.70 *प्रतिशत* के बीच थी। सार्वजनिक ऋण में पिछले वर्ष से 2017-18 में 0.67 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

2013-18 की अवधि के दौरान पूर्व में दिए गए उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उधार दी गई राशि की उपयोगिता तथा पूँजीगत व्यय के ब्यौरे नीचे **तालिका 1.18** में दिये गये हैः

तालिका 1.18: उधार दी गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मुख्य) (*प्रतिशत*)	पूंजीगत व्यय के लिए उधार लिया गया उपलब्ध धन (*प्रतिशत*)
1	2	3	4=(2-3)
2013-14	4,163	1,325 (32)	2,837(68)
2014-15	1,764	1,347(77)	418 (23)
2015-16	2,241	1,435(64)	806 (36)
2016-17	1,696	1,655 (98)	41 (2)
2017-18	1,906	1,682(88)	224 (12)

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2013-18 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई अंश राजस्व व्यय के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था। **2013-18 की पूर्ण अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास राजस्व अधिशेष था। उधार ली गई निधियों का प्रयोग केवल पूंजीगत व्यय एवं ऋण के चुकाने हेतु किये जा रहे थे।**

2013-18 के दौरान स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि सार्वजनिक ऋण की वार्षिक दर की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।

ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में 2013-14 में 10.09 *प्रतिशत* से 2017-18 में 7.42 *प्रतिशत* तक घट गया (चार्ट 1.10) जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान घटता जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप विकास के लिए और अधिक निधियों की उपलब्धता थी।

चार्ट 1.9: ऋण धारणीयता
(लोक ऋण/स.रा.घ.उ. प्रतिशत में)

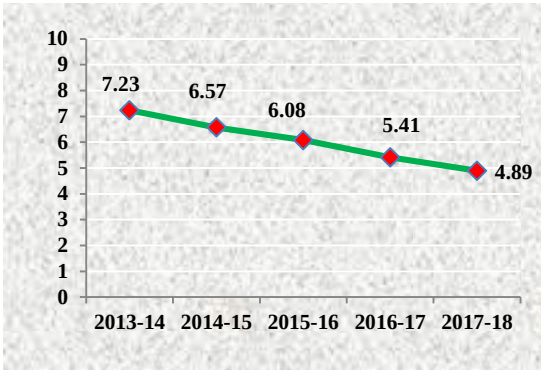

यह दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. की वृद्धि सरकार के ऋण की तुलना में अधिक गति से हो रही है।

चार्ट 1.10: राजस्व प्राप्तियों की
प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान

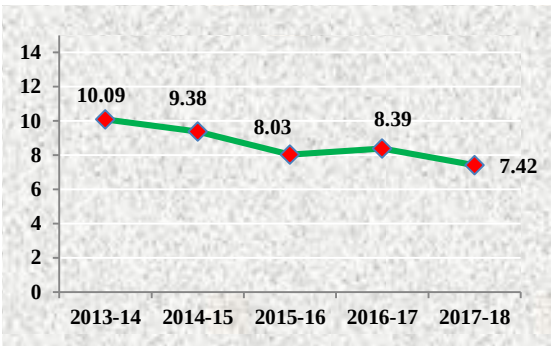

यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ब्याज भुगतान की तुलना में अधिक गति से हो रही है।

1.10 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरा-मीटरों राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटा निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों को चुकाया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किये जाते हैं, उसे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में समझे जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.10.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं **चार्ट 1.12** 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान घाटे/अधिशेष संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

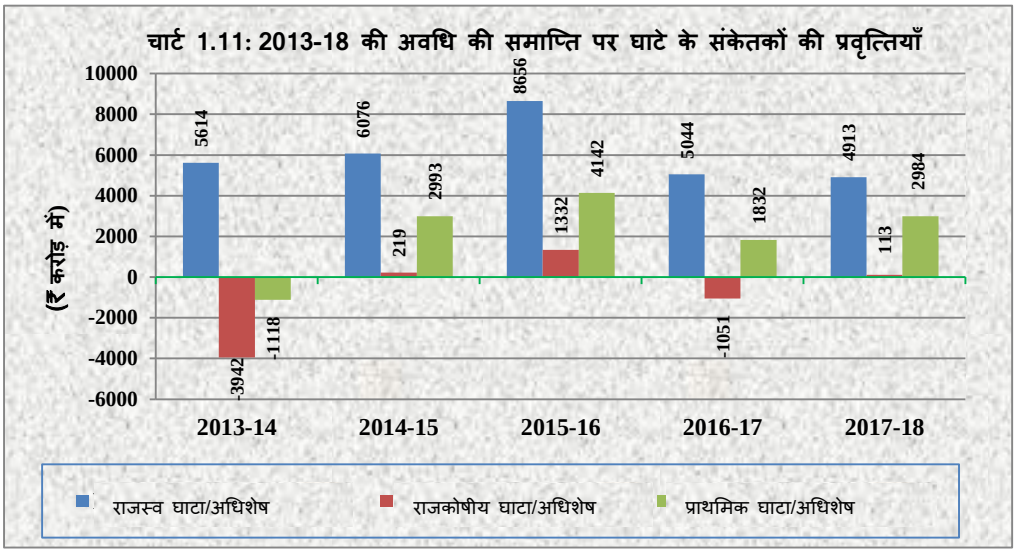

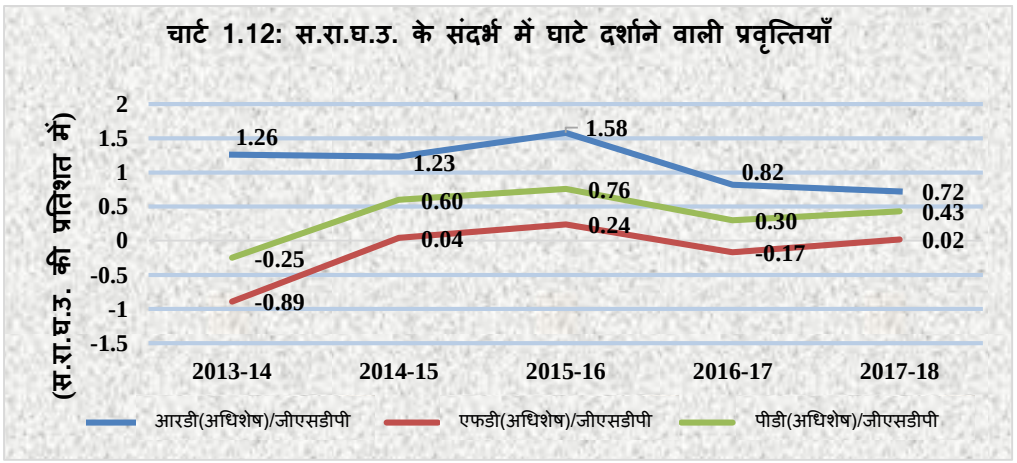

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। **2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व आधिक्य रहा है।** 2013-14 में यह ₹ 5,614 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,656 करोड़ हो गया, 2016-17 में ₹ 5,044 करोड़ तक घट गई तथा 2017-18 में ₹ 4,913 करोड़ हो गई।

2017-18 में ₹ 4,913 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजकोषीय व्यय करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजकोषीय प्राप्तियाँ हैं।

2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 3,942 करोड़ था जो कि 2014-15 के दौरान ₹ 219 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया तथा 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,332 करोड़ हो गया लेकिन 2016-17 में यह फिर ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में बदल गया। **2017-18 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹ 113 करोड़ था।**

2013-14 में रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्राथमिक घाटा था जो 2014-15 में ₹ 2,993 करोड़, 2015-16 में ₹ 4,142 करोड़, 2016-17 ₹ 1,832 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 2,984 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

2016-17 में स.रा.घ.उ. के 0.82 *प्रतिशत* के प्रति 2017-18 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.72 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा जो कि 2016-17 में स.रा.घ.उ. का 0.17 *प्रतिशत* था 2017-18 में राजकोषीय अधिशेष में बदल गया तथा यह स.रा.घ.उ. का 0.02 *प्रतिशत* था। गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि एवं पूँजीगत व्यय में कमी तथा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण के कारण प्राथमिक अधिशेष 2016-17 के 0.30 *प्रतिशत* के मुकाबले 2017-18 में स.रा.घ.उ. का 0.43 *प्रतिशत* पर पहुँच गया।

1.10.2 राजकोषीय घाटे/अधिशेष के घटक व इसका वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे/अधिशेष के वित्तीयन प्रतिरूप को **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	5,614	6,076	8,656	5,044	4,913
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)4,707	(-)4,404	(-) 4,723	(-)3,754	(-)3,243
3	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)4,849	(-)1,452	(-) 2,601	(-)2,340	(-)1,557
4	**सकल राजकोषीय घाटा/ आधिक्य*(-/+)**	**(-)3,942**	**219**	**1,332**	**(-)1,051**	**113**
	राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप					
1	भा.स. से शुद्ध ऋण (सार्वजनिक ऋण प्राप्ति-सार्वजनिक ऋण भुगतान)	2,837	-	-	41	-
2.	अंतिम शेष में बढ़ोत्तरी/कमी	1,105	-	-	1,010	-
** घाटे के आंकड़े (-) में तथा अधिशेष (+) में दिखाए गए हैं*						
निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ						

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.10.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे एवं निवल पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिम सहित) का योगदान राजकोषीय घाटे के प्रति राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश उस सीमा को इंगित करता है जहाँ उधारी निधियों का प्रयोग वर्तमान खपत हेतु किये जाते थे। इसके अलावा राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार छोटा होता जा रहा है और उधार ली गई देयताओं (राजकोषीय देयताओं) के लिए परिसंपत्ति का आधार नहीं था। प्राथमिक घाटे/अधिशेष का विस्तृत विवरण **तालिका 1.20** में दिया गया है।

तालिका 1.20: प्राथमिक घाटा/अधिशेष घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय[5]	पूंजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2013-14	28,784	19,543	4,707	5,652	29,902	9,241	(-)1,118
2014-15	29,812	20,735	4,404	1,680	26,819	9,077	2,993
2015-16	35,082	23,533	4,723	2,684	30,940	11,549	4,142
2016-17	34,558	26,419	3,754	2,553	32,726	8,139	1,832
2017-18	39,358	30,883	3,243	2,248	36,374	8,475	2,984

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित थी जो 2013-14 से 2017-18 के दौरान 36.74 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी तथा प्राथमिक राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 में ₹ 9,241 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2017-18 में 8.29 *प्रतिशत* घटकर ₹ 8,475 करोड़ हो गया। 2017-18 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष में गत वर्ष से ₹ 336 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- प्राथमिक व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूँजीगत व्यय 2013-14 में 15.74 *प्रतिशत* से घटकर 2017-18 के दौरान 8.92 *प्रतिशत* हो गया है।
- **2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान सरकार को प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अधिशेष हुआ था।**

कुछ सकारात्मक एवं उन्हें करीब से ध्यान देने योग्य संकेतकों का चित्रण नीचे दिया गया हैः

तालिका 1.21: मुख्य पैरामीटर

सकारात्मक संकेतक	विशेष ध्यान दिए जाने योग्य पैरामीटर
कर राजस्व में 14.70 *प्रतिशत* की वृद्धि	पूँजीगत व्यय में 13.61 *प्रतिशत* की कमी
गैर-कर राजस्व में 101.05 *प्रतिशत*[6] की वृद्धि	राजस्व व्यय में 15.19 *प्रतिशत* की वृद्धि
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों में 226 *प्रतिशत*[7] की बढ़ोत्तरी	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ में 12.38 *प्रतिशत* की वृद्धि
ब्याज भुगतान में 0.41 *प्रतिशत* की कमी	
विकास व्यय में 12.32 *प्रतिशत* की वृद्धि	

1.11 राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

दिल्ली में 2009-10 से लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा

[5] प्राथमिक राजस्व व्यय = कुल राजस्व व्यय - ब्याज पुनर्भुगतान

[6] यह मुख्यतः दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 2013-14 से 2016-17 की अवधि के देय ऋण से प्राप्त ₹ 332.27 करोड़ की ब्याज प्राप्तियाँ के कारण था।

[7] यह बढ़ोतरी मुख्यतः बिजली कंपनियों के 'प्रसारण एवं वितरण योजनाओं' से ₹ 623.18 करोड़ की वसूली के कारण थी एवं इसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 भुगतान के ₹ 294.85 करोड़ भी शामिल है।

राज्य वित्त प्रतिवेदन पर स्वयं संज्ञान लेकर एटीएन नहीं भेजा गया। इसलिए प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल में रखने के उपरान्त सरकार द्वारा उठाये गये सुधारात्मक उपायों के बारे में लेखापरीक्षा में पता नहीं चल पाया है।

1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 12.58 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष से क्रमशः 14.70 *प्रतिशत* तथा 101.05 *प्रतिशत* बढ़ गया।

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटाकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) कर दिया गया। **इसमें केन्द्रीय करों के बदले भा.स. द्वारा दी गई अनुदान राशि शामिल है जो कि 2001-02 से ₹ 325 करोड़ पर स्थिर है यद्यपि 2001-02 से केन्द्रीय कर संग्रहण में काफी हद तक बढ़ोत्तरी हुई है।**

2017-18 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष से 10.21 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। राजस्व व्यय 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 86 *प्रतिशत* था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 8.26 *प्रतिशत* तथा 5.73 *प्रतिशत* था। **पूँजीगत व्यय कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में 2013-18 के दौरान गिरा है जो एक चिंता का विषय है।**

कुल व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी, जो कि विकास व्यय को प्रदर्शित करती है, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। **कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य पर व्यय 2017-18 में 2013-14 की अपेक्षा मामूली रूप से अधिक था।**

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,173 करोड़ निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल लगभग नगण्य (0.08 *प्रतिशत*) था। जबकि 2017-18 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.58 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

1998-2018 की अवधि के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को वितरित की गई ऋण राशि ₹ 26,620.04 करोड़ के प्रति 31 मार्च 2018 तक ₹ 26,268.89 करोड़ का बकाया रहते हुए केवल ₹ 351.16 करोड़ वापस किया गया था। पिछले पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गयी। दिल्ली जल बोर्ड के बकाये ऋण के कारण ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय एवं संबंधित एजेंसियों के मध्य समाधान हेतु लंबित है।

1996-2011 की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई थी जबकि 31 मार्च 2018 तक ₹ 11,676.14 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹ 161.55 करोड़ वापस की गयी है। 31 मार्च 2018 तक इन ऋणों पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रति क्रमशः ₹ 2037.54 करोड़, ₹ 1395.90 करोड़ तथा ₹ 381.45 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। बकाया ऋण पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एंजेसियों के मध्य समाधान हेतु लंबित है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने पिछले पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व अधिशेष को बनाए रखा है। हालाँकि 2017-18 में पिछले वर्ष से राजस्व अधिशेष में 2.59 *प्रतिशत* की कमी हुई एवं यह 2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.72 *प्रतिशत* था।

2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष में परिवर्तित हो गया। राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.02 *प्रतिशत* था।

सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों 2014-15 से 2017-18 तक प्राथमिक अधिशेष को बनाए रखा गया। प्राथमिक अधिशेष पिछले वर्ष से बढ़कर 62.88 *प्रतिशत* हो गया एवं 2017-18 में स.रा.घ.उ. का 0.43 *प्रतिशत* पर बना रहा।